

धारा 19 की उपधारा 4 की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि के कालम 3 में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः "भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 उपधारा 4 के अंतर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची


(1) भूमि का विवरण


(क) जिला	:- जबलपुर
(ख) तहसील	:- पाटन
(ग) ग्राम	:- चपोद (प.ह.नं. 23/55)
(घ) रा.नि. मण्डल	:- पाटन
(ङ) लगभग क्षेत्रफल	:- 0.03 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां

क्रमांक	खसरा न	प्रस्तावित रकवा (हे.)
1.	136/3	0.03
	कुल योग :-	0.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- जबलपुर-पाटन-शहपुरा मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत टोलप्लाजा के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


भू-अर्जन अधिकारी
पाटन


(महेश चंद्र चौधरी)
कलेक्टर, जबलपुर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्र. ०५ /मू-अर्जन/2016-17

जबलपुर दिनांक 16/05/2016

प्रतिलिपी :-

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्राणालय म.प्र. भोपाल की ओर मध्यप्रदेश भाग-1 में प्रकाशनार्थ।
2. संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग मध्यप्रदेश भोपाल की ओर दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर को अधिनियम प्रारूप धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना का प्रकाशन तत्काल करावें।
4. कलेक्टर कार्यालय में प्रकाशनार्थ, एवं म.प्र. शासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला जबलपुर की ओर नोटिस बोर्ड में चस्पा करने बावत्।
6. तहसीलदार, तहसील पाटन, जिला जबलपुर म.प्र. की ओर सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा हेतु उपरांत एक प्रति तामीली पश्चात् वापस करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।
8. सचिव ग्राम पंचायत पाटन की ओर प्रकाशनार्थ एवं आगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखें।

(महेश चंद्र चौधरी)

कलेक्टर, जबलपुर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग